

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीतारसी) अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या: 888/2021

निर्णय दिनांक :- 11/11/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

गणेश कृष्ण गंगाराम तहसीलदार..... इनी.....

उपरिभाषित :-  
..... 51 वीं

तहसीलदार..... इनी.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी गणेश कृष्ण गंगाराम निवासी..... प्रशासन गांवो के संग 2021 केम्प / न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम..... जमाबंदी संख्या 2077 के खाता संख्या 179 में दर्ज प्रार्थी का नाम..... के स्थान पर..... दुरुस्त करवाये रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपखण्ड पत्रावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार..... से कराई गई। तहसीलदार..... ने पटवार हल्का..... की रिपोर्ट मिलित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्रार्थी को परिचित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार..... से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व ( भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)भा-3/2002/19 के तहत तहसीलदार..... को वाके ग्राम..... जमाबंदी संख्या..... के खाता संख्या 179 में दर्ज गणेश कृष्ण गंगाराम के स्थान पर गणेश कृष्ण गंगाराम

दुरुस्त करवाये रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार..... को वाकनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल करवाये।

निर्णय सुने सरे इजलास, कैम्प..... में सुनाया गया।

D. Dey  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली